

18/6/21 पत्रावली काज पेश हुई।

गोविं Lock down period में जारी

लिमा गमाई एक ब्या. पुठ: Ryed And केरीस साजिका  
कोदेश ली पत्रावली के लिमा जाकर पत्रावली दिनांक  
16-7-21 को पेश है।

921  
21/6/21

जिला कलेक्टर, बाली

16/7/21 पत्रावली आज पेश हुई।

अपीलांत द्वारा हस्तगत अपील सूचना के अधिकार  
अधिनियम की धारा 19(1) के तहत ली. सू.अ. (कोषाधिकारी)  
पाली के विरुद्ध पेश की गई थी। ली. सू.अ. (कोषाधिकारी)  
पाली ने जरिये पत्रांक/कोष/सि.पे./2021/12 दिनांक  
6/4/21 के इस न्यायालय को अवगत कराया कि अपीलांत  
को वांछित सूचना उपलब्ध करवा दी गई है। अपीलांत को  
इस न्यायालय द्वारा नोटिस क्र. 765 दिनांक 5/5/21 व 927  
दिनांक 21/6/21 को अपना पक्ष रखने हेतु जरिये पंजीकृत  
डफ द्वारा भिजवाया गया। दो बार नोटिस जरिये  
पंजीकृत डफ से देने के बावजूद भी अपीलांत के  
इस न्यायालय में अनुपस्थित रहने से यह माना  
जाता है कि अपीलांत द्वारा वांछित सूचना उन्हें प्राप्त  
हो चुकी है। अतः हस्तगत अपील में इस स्तर पर अन्य  
कोई कार्यवाही शेष नहीं बह जाती है। अतः अपील  
अपीलांत इसी स्तर पर निरस्त की जाती है।  
पत्रावली इस न्यायालय से शुमार कैसल  
होकर नम्बर से कम है।

जिला कलेक्टर, बाली

